मध्य प्रदेश शासन, परिवहन विभाग

100 दिवसीय कार्य योजना

योजना के बिन्दु

राजस्व वृद्धि हेतु प्रभावी ढांचागत सुधार

- म.प्र.मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 का पुर्नरचना, युक्ति युक्तकरण एवं सरलीकरण जिससे पारदर्शिता के साथ ही राजस्व वृद्धि होगी।
- म.प्र. मोटरयान नियम, 1994 के अंतर्गत राज्य शासन की अधिकारिता अंतर्गत विभिन्न मदों में देय मोटरयान कर शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव। देय फीस की कुछ मदे 1994 से अपरिवर्तित है जिन्हें संशोधित किया जा रहा है।
- वाहनों के पंसदीदा पंजीयन क्रमांक आवंटन की संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी एवं वेब बेस्ड ऑनलाइन करना जिससे घर बैठे पंजीयन क्रमांक आरक्षण सुविधा का लाभ

वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति।

विभिन्न 24 अंर्तराज्यीय परिवहन चेकपोस्ट को एकीकृत परिवहन चेकपोस्ट में परिवर्तित करना। वर्तमान में सेंधवा, मुलताई, शाहपुराफाटा, पिटोल, करई–परोडा(शिवपुरी) एकीकृत होकर सफलतापूर्वक संचालित है। यह योजना एम.पी.आर.डी.सी.द्वारा पीपीपी के तहत क्रियान्वित की जा रही है। आगामी 100 दिवस में कम से कम दो चेक पोस्ट एकीकृत चेकपोस्ट में परिवर्तित किये जाने का लक्ष्य है।

आगामी 100 दिवस में 300 ग्रामीण सेवा परमिट जारी करना लक्ष्य ।

प्रदेश में 50 परिवहन कार्यालय भवन के निर्माण की कार्ययोजना स्वीकृत की गई है। आगामी 100 दिवस में कम से कम 20 नये कार्यालय भवन हेतु पी.आई.यू.–लोक निर्माण विभाग को वर्क आर्डर जारी किया जाना प्रस्तावित है।

विभागीय कर्मचारियों को पदोन्नती के अवसर देने हेतु विभिन्न केडर–आरक्षक एवं लिपिकीय स्टाफ की डी.पी.सी.कर पदोन्नति आदेश जारी करने का लक्ष्य रखा गया है।